संख्या-38/2018-1505/58-2018-149/2018

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 20 जून, 2018

विषयः- विभाग में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत आन-लाईन पोर्टल तैयार करने हेतु श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड गाजियाबाद को पोर्टल तैयार किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45/डी0बी0टी0/आई-टी सेल/2018-19, दिनांक 31.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन के दिशा निर्देश के प्रस्तर-22 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में आई-टी एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1710/78-2-2016-135आई-टी-2016, दिनांक 17.11.2016 में उल्लिखित कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विक्रय के निर्धारण के संबंध में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत विभाग में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत आन-लाईन पोर्टल तैयार किये जाने के संबंध में श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड गाजियाबाद को धनराशि रू0 15,28,808/- (रू0 पन्द्रह लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ आठ मात्र) का अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रश्नगत धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1)अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) नियमानुसार केन्द्रांश की धनराशि का व्यय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(7) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(10) यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग सीधे उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

**<u>संख्या-38/2018-1505(1)58-2018 तद दिनांक :-</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद-द्वारा निदेशक।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in